69

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014/I/निगरानी R-3817-II/14

श्री वीरसिंह राठौर, अभि. द्वारा आज दि. 17-11-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-11-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शम्भूदयाल पुत्र चतुर्भुज जाति ब्रामहण
निवासी कुम्हार मोहल्ला बडौदा तह.
बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.
.............निगरानीकर्ता

बनाम

माणकचंन्द्र पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राम्हण
निवासी कुम्हार मोहल्ला तहसील बडौदा
जिला श्योपुर म.प्र.
..........गैरनिगरानीकर्ता

श्रीमान नायब तहसीलदार बडौदा के प्रकरण कमांक 01/14–15/अ–27 की आर्डर दिनांक 05.01.2014 के विरूद्व निगरानी म.प्र.भू.राजस्व संहिता के अंतर्गत।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी का संक्षिप्त में सार :–यह कि ग्राम मूडला स्थित भूमि सर्वे नम्बर 237 रकबा 2.780 हेक्टेयर भूमि हमारे परिवार के शामिल खाते की भूमि है उक्त भूमि के बटवारे हेतु एक आवेदन पत्र हमारे बडे भाई माणकचन्द्र द्वारा आवेदन पत्र श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बडौदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें कई पक्षकार फोत हो चुके है। इस बात की जानकारी मेरे द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बडौदा जिला श्योपुर को दी गई। भाई प्रेमचन्द्र भी फोत हो चुके है उनके वारिसों का फोती नामान्तरण अभी राजस्व अभिलेख में नहीं हुआ है। पहले उनका फोती नामान्तरण करवा लें। तथा श्यामसुन्दर भाई साहब का लडका सुशील भी फोत हो चुका है एवं कन्हैयालाल जी का तो पूरा परिवार फोत हो चुका है, गौरबाई बेवा कन्हैयालाल तथा उनके तीनों भाई कामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की भूमि दुर्गालाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड को बेच दी गई है तो उसका हिस्सा भी अलग करना चाहिये। पुत्रिया भूलीबाई, रसाबाई, पुष्पाबाई चारों फोत हो चुकी है तथा गोपीलाल जी पुत्री कमा भी फोत हो चुकी है। पहले अपने इस सभी के वारिसानों के हित में फोती नामान्तरण करवालिया जाये उसके पश्चात् बटवारा किया जाना उचित होगा तथा आपने कामशेवर की पुत्री कल्पू को वैसे भी प्रकृतिक पक्षकार नहीं बनाया है। न्याय सिद्वान्त है कि मरे हुऐ व्यक्तियों के विरूद्व प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होता है। किन्तु पीठासीन अधिकारी एवं आवेदक हमारी उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3817–दो/14 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.7.16	प्रकरण आदेश हेतु पस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बडोदा जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 1/14–15/अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1.11.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एव नायब तहसीलदार बडौदा के आदेश दिनांक 1.11.14 पर विचार करने से परिलक्षित है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम बडौदा की सामिलाती भूमि कुल किता 9 के बटवारे की मांग की है। नायब तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान 1.11.14 को आवेदक एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं, जबकि नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण को भेजे सूचना पत्र सही पता न होने से अदम तामील वापिस प्राप्त होने पर अंतिरिम आदेश से आवेदक को निर्देशित किया है कि वह सही पते के साथ तलवाना प्रस्तुत करें । इसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व मात्र अनावेदक शंभू दयाल ने यह निगरानी प्रस्तुत कर अधिकांश अनावेदक फौत हो जाने से नायब तहसीलदार प्रकरण एवं कार्यवाही निरस्त करने की	

क्रमशः

प्रार्थना की है।

3– उक्त के परिप्रेक्ष में वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत कर जो मांग समक्ष में उठाई है वही मांग वह नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करके कार्यवाही करा सकता था और यह उपचार उसे नायब तहसीलदार के समक्ष प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर बटवारा कार्यवाही होने में विलंब चाहता है, जिसके कारण प्रस्तुत निगरानी सारहीन है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है तथा नायब तहसीलदार तहसील बडौदा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह बटवारा प्रकरण का निराकरण हितबद्व पक्षकारों को सुनकर 6 माह की अवधि में कर देवें ।

सदस्य